अध्याय–III

3.1 नगर निगम, लखनऊ द्वारा रु0 5.04 करोड़ का निष्फल व्यय

नगर निगम लखनऊ द्वारा शासनादेशों के अनुपालन सुनिश्चित करने में निष्क्रियता एवं असफलता के कारण रु0 5.04 करोड़ का निष्फल व्यय

शासन द्वारा गोमती नदी के तटों पर निशातगंज सेतु से हनुमान सेतु तक सौन्दर्यकरण परियोजना तथा रु0 10.54 करोड़ की लागत से द्वारों (गेटों) के निर्माण की स्वीकृति दी गयी (2004–06) एवं नगर निगम लखनऊ को धनराशि, कंस्ट्रक्शन एवं डिजाइन सेवाएं, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ (निगम), जो परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु प्रत्यायोजित कार्यदायी संस्था को अन्तरण हेतु अवमुक्त की गयी थी। परियोजना के साथ–साथ हनुमान सेतु एवं निशातगंज सेतु के दोनों ओर प्रवेश द्वारों के निर्माण की अवधारणा थी। जैसा कि इन द्वारों का निर्माण सौन्दर्यकरण की दृष्टि से एक विशेष प्रकृति का कार्य था, शासन ने नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ को निर्देश (फरवरी 2006) दिया कि वास्तु अवधारणा तथा ढांचागत डिजाइन के साथ–साथ विशिष्टियों हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के साथ सिंचाई विभाग, पी0डब्ल्यू0डी0 एवं पर्यावरण विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्राप्ति के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

नगर निगम लखनऊ के अभिलेखों की जॉच (जुलाई 2007) से परिलक्षित हुआ कि जनवरी 2006 से अगस्त 2006 की अवधि तक निगम को कार्य निष्पादन करने के लिए रु0 10.54 करोड़ शासन के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना ही हस्तान्तरित कर दिया गया था। निगम ने बिना उचित अध्ययन, बिना ठोस ढांचागत डिजाइन तैयार किए तथा यहाँ तक कि सम्बन्धित विभागों से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बिना फरवरी 2006 में कार्य प्रारम्भ कर दिया। उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका[1] में भी यह निर्देश (नवम्बर, 2006) दिया कि विशेषज्ञ समिति[2] रिपोर्ट जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि इससे जनजीवन एवं सम्पत्ति को कोई खतरा नहीं है, प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जाए। इसी बीच, निगम द्वारा अक्टूबर 2005 से मई 2007 के मध्य रु0 10.54

[1] संख्या– 7486 / 2006

[2] प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र, उ0प्र0 जल निगम एवं निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम

करोड़ में से रु0 5.04 करोड़ कार्य पर[3] व्यय एवं नगर निगम लखनऊ को रु0 0.25 करोड़ रोककर रु0 5.25 करोड़ वापस किए गए (दिसम्बर 2007 से अप्रैल 2008) शासन द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन (फरवरी 2007) में यह विचार व्यक्त किया कि द्वारों के खम्भों की नींव की गहराई अपर्याप्त थी। समिति ने अग्रेत्तर सिफारिश की कि द्वारों का निर्माण फिर से आरम्भ करने के पूर्व द्वारो की नीव की सुरक्षा आवश्यक है। अतः वास्तुविद द्वारा उपयुक्त डिजाइन पर आवश्यक सुरक्षा का कार्य करने के उपरान्त ही गेट निर्माण का कार्य पुनः प्रारम्भ किया जाए। विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन एवं एक वास्तुविद से प्राप्त प्रतिवेदन (अप्रैल 2007) की प्राप्ति के बावजूद भी कार्य पुनः आरम्भ नहीं हुआ था (नवम्बर 2008)। एवं नगर निगम लखनऊ के वैयक्तिक लेखा खाते में अवशेष रु0 5.25 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध थी। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासनादेश का अनुपालन न करने से परियोजना अपूर्ण रह गयी तथा रु0 5.04 करोड़ का व्यय पूर्णतः अलाभकारी रहा।

नगर निगम लखनऊ ने स्वीकार किया (नवम्बर 2007) कि वास्तुविद से प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। इस प्रकार वास्तुविद द्वारा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के बीस माह पश्चात भी नगर निगम लखनऊ तीव्र गति से निर्माण कार्य को सुनिश्चित करने में असफल था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जुलाई 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.2 अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

मरम्मत कार्यो एवं सामग्री क्रय/सेवाओं हेतु दिया गया अग्रिम 10 वर्षो से अधिक समय से असमायोजित रहे

नगर निगम लेखा संहिता नियम–57 (3) लेखा संहिता सपठित वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 (भाग–1) में निहित नियम 162 के अनुसार व्यक्ति विशेष को दिये गये अस्थाई अग्रिमों का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक किया जाना चाहिए जिसमें अग्रिम दिये गये है।

नगर निगम, इलाहाबाद के अभिलेखों की जांच (जुलाई, 2007) में पाया गया कि वर्ष 1993–2007 की अवधि में नगर निगम के विभिन्न अधिकारियों को (परिशिष्ट–5) रु0 2.16 करोड़ रुपये का अग्रिम मरम्मत कार्य, सामग्री क्रय हेतु एवं अन्य सेवाओं हेतु प्रदान किया

[3] गोमती नदी के तट का सौन्दर्यीकरण : रु0 0.61 करोड, हनुमान सेतु द्वार : रु0 1.59 करोड़, निशान्तगंज सेतु के दोनों किनारों पर विशाल द्वार रु0 2.84 करोड़

था, का समायोजन लम्बित था। इस धनराशि में रु0 21.01 लाख एवं रु0 17.60 लाख क्रमशः 10 वर्षो एवं पांच वर्षो से अधिक पुरानी थी । इन लम्बित अग्रिमों का समायोजन समय से न किये जाने से नगर निगम लेखा संहिता के प्रावधानों एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना की गयी जो कि अप्रभावी अनुश्रवण तरीकों का द्योतक थी। गंभीर वित्तीय अनियमितता के अतिरिक्त, अग्रिमों का समायोजन न किये जाने से कपट एवं गबन के जोखिम से इन्कार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर नगर निगम, ने उत्तर में बताया (जुलाई 2007) कि लम्बित अग्रिमों के समायोजन के किए कार्यवाही की गयी थी। तथापि, नवीनतम एकत्रित सूचना (जून 2008) में असमायोजित धनराशियों में कोई कमी नहीं पाई गई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (फरवरी 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.3 महाराजगंज नगर पंचायत द्वारा रु0 77.19 लाख का अलाभकारी व्यय

अविवेकपूर्ण निर्णय से जलापूर्ति प्रणाली के निर्माण पर किया गया रु0 77.19 लाख का व्यय अलाभकारी रहा

जनपद महाराजगंज में घुघाली के निवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर पंचायत (एन0पी0) द्वारा जलापूर्ति प्रणाली के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश, जल निगम, गोरखपुर को अपेक्षित भूमि हस्तान्तरण हेतु एक संकल्प (मार्च 1990) अनुमोदित किया गया। परियोजना प्रतिवेदन में वर्ष 1996 तक 1600 परिवारों को एवं 2005 तक 1900 परिवारों को जल संयोजन उपलब्ध कराने एवं उससे नगर पंचायत की आय (1996 : रु0 4.03 लाख एवं 2005: रु0 4.91 लाख) सृजित करने का लक्ष्य रखा।

महाराजगंज नगर पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2008) में पाया गया कि निर्मात्री संस्था द्वारा अप्रैल 1995 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया एवं रु0 77.19 लाख की लागत से मार्च 1999 में कार्य पूर्ण कर दिया गया। संस्था द्वारा छः वर्षो के बिलम्ब के बाद वर्ष 2005 में नगर पंचायत को जलापूर्ति प्रणाली हस्तान्तरित की गयी। प्रणाली को हस्तान्तरित करने/प्राप्त करने में विलम्ब के कोई कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। तदन्तर जलापूर्ति प्रणाली एक वर्ष के लिए सुनिश्चित की गयी एवं विद्युत प्रभार के रुप में रु0 3.13 लाख (अप्रैल 2005 से अप्रैल 2008 की अवधि में) व्यय किये गये। तथापि, पंचायत क्षेत्र में किसी भी परिवार द्वारा पानी का कनेक्शन नहीं लिया क्योंकि पंचायत

क्षेत्र में 25 सार्वजनिक नल थे जिसके परिणामस्वरूप जलापूर्ति बन्द कर दी गई एवं सम्पूर्ण जलापूर्ति प्रणाली यथास्थिति मई 2008 तक निष्क्रिय पड़ी रही।

इस प्रकार आवश्यकता का मूल्यांकन किए बिना परिवार को पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के अविवेकपूर्ण निर्णय से रु0 77.19 लाख की लागत से सृजित जलापूर्ति प्रणाली निष्फल रही । इसके अतिरिक्त रु0 3.13 लाख विद्युत प्रभार पर व्यय किए गये (अप्रैल 2005 से अप्रैल 2008 तक)।

नगर पंचायत ने उत्तर (मई 2008) में बताया कि जनता की रूचि न होने के कारण कनेक्शन नहीं दिए गए। उत्तर से स्पष्ट है कि कार्य निष्पादन के पूर्व आवश्यकता का समुचित आकलन नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.4 राजस्व की हानि

समय से कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरुप रु0 39.60 लाख के राजस्व की हानि हुई

शासनादेश[4] (नवम्बर 2001) के अनुसार ''नगर पंचायत उपविधि तैयार कर नगर पंचायत के दायरे में आने वाले वाहनों एवं उस निकाय के स्टैंडों या पार्किग स्थलों में रूकने या पंचायत से यात्रियों को चढ़ाने या उतारने पर कर आरोपित कर सकते है। नगर पंचायत गोवर्धन (एन0पी0) द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाले वाहनों के लिए उपविधि[5] तैयार की गई जिसमें यह प्रावधान था कि क्षेत्र में आने वाले वाहन चालक वाहन स्टैण्ड में रोकेंगे एवं नगर पंचायत कर्मचारी या ठेकेदार को प्रभार भुगतान करने हेतु रसीद लेंगे। रोडवेज बसों को छोडकर शासकीय वाहनों, शव वाहन पार्टी, कृषि उत्पाद सहित ट्रैक्टर/ट्रालियों, दो पहिया वाहनों तथा नगर पंचायत सीमा में बिना रूके वहॉ से गुजर जाने वाले वाहनों को इस प्रकार से मुक्त रखा गया था।

नगर पंचायत, गोवर्धन जनपद मथुरा के अभिलेखों की संवीक्षा (जून, 2007) में पाया गया कि जनपद द्वारा अपने स्थलों/स्टैण्डों को बिना चिन्हित किए एक वर्ष के लिए नीलामी की गयी (मार्च 2004) एवं जिसका विभागीय मूल्य रु0 60 लाख निर्धारित किया गया था। उच्चतम

[4] शासनादेश सं0– 3586/ –9–2011/98 दिनांक : 26 नवम्बर, 2001
[5] गजेट अधिसूचना दिनांक 29 मार्च, 2003

बोली रु0 1.25 करोड़ की लगायी गई थी जबकि द्वितीय उच्चतम बोली रु0 77 लाख थी। नगर पंचायत द्वारा रु0 5 लाख जमानत जमा कर उच्चतम बोली स्वीकार की गयी परन्तु बोली के उपबन्धों एवं शर्तानुसार बोली दाता द्वारा अगले बैंकिग कार्य दिवस तक बोली की एक चौथाई राशि जमा नहीं की जा सकी थी। परिणामतः बोली निरस्त (मार्च 2004) कर दी गयी तथा जमानत जमा (रु0 5.00 लाख) जब्त कर ली गई।

नीलामी के शर्तो के अनुसार अनुबन्ध के लिए द्वितीय उच्च बोली कर्ता के समक्ष प्रस्ताव रखने के बजाय, पंचायत कर्मचारी बारह दिनों[6] के लिए परिनियोजित किए गए एवं रु0 1. 53 लाख की धनराशि एकत्रित हुई। अप्रैल, 2004 में स्थलों या स्टैंडों का वित्तीय वर्ष के शेष 353 दिनों के लिए रु0 25,225 प्रतिदिन (353 दिनों के लिए रु0 89.04 लाख) की दर से पुनः नीलामी की गई। नगर पंचायत द्वारा पार्किग स्थलों को चिन्हित न किए जाने के कारण ठेकेदार द्वारा अवैध रुप से अवरोध लगाकर राहगीरों से शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। परिणामस्वरुप जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा यह कार्य बंद करने के लिए ठेकेदार को आदेश दिया गया (जून, 2004)। तथापि ठेकेदार ने जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए राहगीरों से अवैध शुल्क अक्टूबर 2004 तक वसूलना जारी रखा। इसके बाद पंचायत ने रु0 13.87 लाख अर्जित किये। अक्टूबर 2004 में ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध निरस्त कर दिया गया क्योंकि प्रशासनिक आदेशों के अधीन वसूली का महत्वपूर्ण समय व्यतीत हो गया था एवं उसके बाद कोई शुल्क एकत्रित नहीं किए गए। इस प्रकार, विभाग द्वारा निर्धारित रु0 60 लाख के सापेक्ष मात्र रु0 20.40 लाख अर्जित किया गया था (कमी : रु0 39.60 लाख, 66 प्रतिशत)।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई।

इस प्रकार समय से कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरुप रु0 39.60 लाख के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मार्च 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.5 देवरिया नगर पालिका परिषद द्वारा रु0 23.49 लाख का अलाभकारी व्यय

नक्शे के अनुमोदन के बिना कार्य प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप रु0 23.49 लाख का अलाभकारी व्यय।

नगर पालिका परिषद, देवरिया के अभिलेखों की जॉच (जून 2007) में पाया गया कि नगर पालिका परिषद ने अपनी बैठक (जून, 1999) में अपने स्वामित्व वाली भूमि के एक अंश पर

[6] 01 अप्रैल 2004 से 12 अप्रैल 2004

स्टेडियम निर्माण का निर्णय जिसका मानचित्र निर्धारित प्राधिकरण विनियमित क्षेत्र (पी0ए0आर0ए0), देवरिया द्वारा अनुमोदित (फरवरी 2000) किया गया। नगर पालिका परिषद ने हालांकि सितम्बर 2002 की बैठक में स्टेडियम निर्माण के पूर्व निर्णय को निरस्त किया एवं वहां 240 आवासीय प्लाट के आवासीय कालोनी को विकसित करने तथा उससे प्राप्त निधि का उपयोग अन्य बार्डो की आधारभूत संरचना के विकास में किए जाने का निर्णय लिया। नगर पालिका परिषद ने मानचित्र को अनुमोदनार्थ पी0ए0आर0ए0 को प्रस्तुत (जुलाई 2003) किया जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित (जून 2008) था । इसी बीच नगर पालिका परिषद ने पी0ए0आर0ए0 द्वारा मानचित्र पर अनुमोदन लिए बिना एक ठेकेदार के माध्यम से कार्यप्रारम्भ कर दिया तथा कार्य पर जुलाई 2003 से सितम्बर 2005 तक रु0 23.49 लाख[7] का व्यय किया गया। जिलाधिकारी देवरिया के आदेशानुसार, कार्य रोक (अप्रैल 2004) दिया गया क्योकि यह विकास कार्य ऐसे स्थान पर निष्पादित हो रहा था जहॉ किसी अन्य कार्य अर्थात स्टेडियम का ले आउट पहले से अनुमोदित था।

इस प्रकार निर्धारित प्राधिकारी से ले आउट के अनुमोदन के बिना कार्य प्रारम्भ करने से विकास कार्य पर किया गया रु0 23.49 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, देवरिया ने बताया (जून 2007) कि पी0ए0आर0ए0 को मानचित्र प्रस्तुत किया जा चुका था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पी0ए0आर0ए0 द्वारा ले आउट के अनुमोदन के बिना विकास कार्य प्रारम्भ करना अनियमित था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च, 2009) था।

[7] सड़क इत्यादि रु0 17.79 लाख, पार्क विकास रु0 5.11 लाख, परामर्श रु0 0.18 लाख शउट प्रभार रु0 0.41 लाख।

3.6 परिहार्य देयता

नगर पंचायत, गोवर्धन द्वारा कर्मचारियों के वेतन से देय धनराशियों को जमा न करने से रु0 10.69 लाख एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने से रु0 23.94 लाख की देनदारियों का सृजन किया जाना।

शासनादेश[8] (फरवरी 1978) में यह प्रावधान है कि कर्मचारी के वेतन से कटौती किए गए भविष्य निधि अंशदान एवं पेंशन अंशदान को राष्ट्रीयकृत बैंक में सम्बन्धित कर्मचारी के क्रमशः भविष्य निधि खाता एवं पेंशन खाता में जमा किया जाना चाहिए। अग्रेत्तर देयताओं की वृद्धि से बचने के लिए कर्मचारी के वेतन आदि का समय से भुगतान किया जाना चाहिए।

नगर पंचायत, गोवर्धन के अभिलेखों की जॉच (जून 2007) में पाया गया कि वर्ष 1988 से 2001 की अवधि में कर्मचारियों के वेतन से रु0 10.69 लाख की धनराशि जो भविष्य निधि में अंशदान एवं पेंशन अंशदान से सम्बन्धित थी को उनके संदर्भित बैंक खातों में जमा नहीं किए गये। अग्रेत्तर वर्ष 2000–2005 की अवधि में कर्मचारियों को उनके वेतन के रुप में रु0 23.94 लाख भुगतान किया जाना शेष था। अतः नगर पंचायत द्वारा शासनादेश का अनुपालन न कर रु0 34.63 लाख (परिशिष्ट–6) की देनदारियों को सृजित किया गया।

नगर पंचायत ने बताया (अप्रैल 2008) की राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुदानों की कम प्राप्ति एवं नगर पंचायत की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण देयताएं उन्मोचित नहीं की जा सकी थी। तथापि उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मार्च 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.7 बोली की धनराशि रु0 9.18 लाख एवं स्टाम्प शुल्क पर रु0 1.61 लाख की परिहार्य हानि

नगर पालिका परिषद अकबरपुर द्वारा अनुबन्ध के निरस्तीकरण/पुनः नीलामी की विफलता एवं स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रतिपादित न करने के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

नगर पालिका परिषद (एन0पी0पी0) अकबरपुर, जिला अम्बेडकर नगर ने टैक्सी–टेम्पों स्टैण्ड का वर्ष 2005–06 का ठेका उच्चतम बोलीदाता को रु0 20.07 में प्रदान (मार्च 2005) किया।

[8] शासनादेश सं0– 12417T/9.1.1977 दिनांक 02 फरवरी, 1978

चयनित बोलीदाता के साथ रु0 1.61 लाख[9] के अनुबंध का निष्पादन करना था तथा अनुमोदित बोली की एक तिहाई राशि को अनुमोदन के तुरन्त बाद जमा करना था। शेष राशि को नौ समान मासिक किस्तों में उत्तरवर्ती माहों में जमा करना था, अन्तिम किस्त माह दिसम्बर 2005 में देय थी। अनुबन्ध के शर्तो में ठेकेदार द्वारा राशि जमा करने में चूक की स्थिति में अनुबन्ध रद्द करने एवं उसे पुनः नीलामी का प्रावधान था। पुनः नीलामी से हुए नुकसान की भरपाई, यदि कोई हो, तो चूक करने वाले ठेकेदार द्वारा की जानी थी।

नगर पालिका परिषद के अभिलेखों की जांच में (अगस्त, 2007) यह पाया गया कि ठेकेदार, जिसकी बोली अनुमोदित की गयी थी ने केवल रु0 5.69 लाख (मार्च 2005) की राशि जमा की थी जो कि बोली के एक तिहाई राशि (रु0 6.69 लाख) से कम थी। वह आगामी किस्तों[10] को जमा करने तथा अनुबंध का निष्पादन अपेक्षित स्टाम्प पेपर पर करने में भी असफल रहा। यद्यपि ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का अनादर किया गया फिर भी उसे अनियमित ढंग से दिसम्बर 2005 तक पार्किंग प्रभार वसूली की अनुमति दी गयी। अनुबन्ध के निरस्त होने (दिसम्बर 2005) के बाद नगर पालिका परिषद पार्किंग प्रभार की वसूली विभागीय तौर पर जनता से शुरू की तथा जनवरी 2006 से मार्च 2006 के मध्य रु0 5.20 लाख एकत्रित किये। किन्तु एन0पी0पी0 बोली की राशि में से रु0 9.18 लाख[11] तथा रु0 1.61 लाख ठेकेदार से स्टाम्प शुल्क के कारण देय को वसूल करने में असमर्थ रही। एन0पी0पी0 द्वारा अनुबन्ध को समय से रद्द करने तथा उसकी पुनः नीलामी करने से इस हानि को रोका जा सकता था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित (अगस्त 2007) किये जाने पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं दी।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.8 शासकीय राजस्व को कोषागार में न जमा किया जाना

ठेकेदारों के देयकों से काटी गयी रु0 12.87 लाख के आयकर एवं व्यापार कर की धनराशि को शासकीय लेखों में जमा न किया जाना

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न कार्य निष्पादित किये जाते है, जैसे– सीमेंन्ट कंक्रीट की सड़क बिछाना, नालियों एवं सभा कक्षों का निर्माण इत्यादि।

[9] भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 40, अनुसूची 1B के अनुसार रु0 20.07 लाख का रु0 80 प्रति हजार की दर से

[10] रु0 20.07 लाख का वांछित 1/3 = रु0 6.69 लाख।

[11] वसूली योग्य रु0 20.07 लाख, ठेकेदारों से रु0 5.69 लाख वं विभाग से रु0 5.20 लाख वसूल किया गया। कुल वसूल की गई धनराशि रु0 10.89 लाख । हानि रु0 20.07 लाख – रु0 10.89 लाख = 9.18 लाख।

सरकारी करों[12] को देयकों से काटने एवं उन्हें शासकीय खाते में जमा करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारी का होता है।

सात पंचायती राज संस्थाओं के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2007 एवं फरवरी 2008) में पाया गया कि जिला सीतापुर के एक नगर पालिका परिषद[13] एवं पॉच जिलों[14] के छः अन्य नगर पंचायतों ने निर्माण कार्य ठेके के मूल्य रु0 3.33 करोड़ फरवरी 2002 एवं मार्च 2007 के मध्य ठेकेदार को दिया। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा भुगतान करते समय रु0 12.87 लाख (आयकरः रु0 7.19 लाख एवं व्यापार करः रु0 5.68 लाख) **(परिशिष्ट–7)** का कर देयकों से काटा परन्तु बिना किसी कारण का उल्लेख किए उसे शासकीय खाते के कोषागार जमा नहीं किया एवं 24 महीनों से 72 महीनों के पश्चात भी एकत्रित राशि को अपने बैंक खाते में ही रखा।

इस प्रकार रु0 12.87 लाख का शासकीय राजस्व वसूली के लम्बे समय बाद भी शासकीय खाते से बाहर रहा। यह वित्तीय हस्तपुस्तिका[15] के प्राविधान का भी उल्लंघन करता है जिसके अनुसार शासकीय पावती की प्राप्ति पर उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद अधिशासी अधिकारियों ने बताया कि (जुलाई 2007 एवं फरवरी 2008 के मध्य) कि राजस्व कोषागार में जमा कर दिए जाएगें।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जुलाई 2008), उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.9 अवस्थापना निधि में से रु0 7.36 लाख का अनियमित व्यय

नगर निगम लखनऊ ने अवस्थापना निधि से सीमेन्ट कंक्रीट सड़क के निर्माण पर शासन के रोक के आदेश की अवहेलना करते हुए सीमेन्ट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया

शहरी स्थानीय निकायों (यू0एल0बी0) के अन्तर्गत आधारभूत संरचना को विकसित तथा मजबूत करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश (शासन) शहरी स्थानीय निकायों को (अवस्थापना निधि) ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। जिसका समायोजन भविष्य में जारी होने वाले राज्य वित्त अनुदान से किया जाता है। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अवस्थापना निधि से सीमेन्ट, कंक्रीट सड़क निर्माण पर सरकार द्वारा रोक[16] (अप्रैल 2005) में लगा दी गयी थी

[12] आयकरः आयकर अधिनियम 1961 के अधीन 2.24 प्रतिशत एवं व्यापार कर : व्यापार कर अधिनियम 1948 के अधीन 4 प्रतिशत
[13] महमोदाबाद
[14] एटाः अवागढ, उन्नावः फतेहपुर चौरासी , मथुराः गोवर्धन, फतेहपुरः कोरा जहानाबाद एवं बहुआ तथा प्रतापगढ़ पट्टी।
[15] वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर–21
[16] शासकीय आदेश संख्या–1/नौ–9–2005 दिनांक 18 अप्रैल, 2005

क्योंकि कार्यो का निष्पादन लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची दरों तथा विशिष्टियों के अनुरूप नहीं हो रहा था। जिसके फलस्वरुप कार्य गुणवत्ता के अनुरुप नहीं थे।

अभिलेखों की जांच (जुलाई 2007) में पाया गया कि नगर निगम (एन0एन0) लखनऊ ने दो सीमेन्ट कंक्रीट सड़क स्वीकृति किये (मई 2005 एवं सितम्बर 2005) तथा शासन के उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए रुपया 7.36 लाख[17] की लागत से दो सी0सी0 सड़क निर्माण किया (नवम्बर, 2005 से सितम्बर 2006)।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर नगर निगम ने उत्तर दिया (जुलाई 2007) की कार्यो को शासनादेश निर्गत होने से पूर्व ही स्वीकृति प्राप्त थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यो की स्वीकृति मई 2005 तथा सितम्बर 2005 में मिली थी जबकि अवस्थापना निधि से सीमेन्ट कंकीट सड़कों के निर्माण पर रोक का आदेश अप्रैल 2005 में जारी किया गया था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2008) उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2009) था।

3.10 रुपये 5.43 लाख का आधिक भुगतान

दर अनुसूची को लागू करने में असफलता के फलस्वरूप ठेकेदार को रु0 5.43 लाख का अधिक भुगतान किया गया

कार्य का निष्पादन लोक निर्माण विभाग द्वारा दर अनुसूची में तय दर के अनुसार होना चाहिए। प्रभारी अभियन्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार के साथ समझौते में प्रस्तुत, कार्य निष्पादन की दर, दरों अनुसूची के अनुसार हो।

नगर पंचायत कुरारा, जिला हमीरपुर के कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि शासन ने नगर पंचायत को तीन कार्यों के निष्पादन के लिए रु0 50 लाख की धनराशि की मंजूरी दी (सितम्बर 2006) जिसकी अनुमानित लागत रु0 50.02 लाख थी। अन्य कार्यो के साथ इन कार्यो, जिनका निष्पादन 2006–07 में होना था में, 679.175 घन मी0 की सीमेन्ट कंक्रीट कार्य[18] था जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने रु0 1250 प्रति घन मी0[19] की दर निर्धारित किया था एवं जो 23.03.2007 तक वैध था। जॉच से यह भी पाया गया कि नगर

---

[17] (i) इन्दिरा नगर सेक्टर–12 में मकान सं0– 229 से 313 के मध्य सी0सी0 सड़क पर रु0 4.26 लाख की प्रमाणक सं0–94 दिनांक 10.11.2005

(ii) बेगम हजरत महल वार्ड में बाबा संजय गली में सी0सी0 सड़क पर रु0 3.10 लाख, प्रमाणक सं0– 180 दिनांक 01.092006

[18] (62.394 + 210.13)मी^{3} + 254.347 मी^{3} + 152.304 मी^{2} = 679.175 घन मी0

[19] छर अनुसूची मद सं0 281, बांदा लोक निर्माण विभाग सर्कल अध्याय–5

पंचायत के अधिशासी अभियन्ता ने कार्य का प्राक्कलन रु0 1250 प्रति घन मी0 के स्थान पर रु0 2050 प्रति घन मी0 से तैयार किया यद्यपि निर्धारित दर लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के दर से 800 प्रति घन मीटर से ज्यादा थी। अग्रेत्तर यह भी पाया गया कि अवर अभियन्ता (तकनीकी), निर्माण प्रखण्ड, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर ने भी प्राक्कलन की जांच बिना यह सुनिश्चित किये कि आकलन में प्रस्तुत दर लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुसार वैध है। ठेकेदारों के साथ समझौतो का निष्पादन ऊची दर पर हुआ एवं उन्हें रु0 50.18 लाख का भुगतान, उनके देयक के अनुसार मार्च 2007 में किया गया। जो रु0 5.43 लाख[20] अधिक था।

इस प्रकार नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी एवं अवर अभियन्ता (तकनीकी) निर्माण प्रखण्ड, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर द्वारा यह सुनिश्चित करने में कि दर, दरों अनुसूची से अधिक नहीं है कि विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को रु0 5.43 लाख का अधिक भुगतान किया गया ।

अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कुरारा, जिला हमीरपुर ने बताया (सितम्बर 2007) कि अवर अभियन्ता निर्माण प्रखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन को मंजूरी दी गयी थी उत्तर मान्य नहीं था। क्योंकि अवर अभियन्ता (तकनीकी), निर्माण प्रखण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित दर लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची से अधिक थी जो कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध था।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2008), उत्तर प्रतीक्षत (मार्च 2009) था।

इलाहाबाद
दिनांकः 27, अगस्त 2009

(अन्जन कुमार आइच)
वरिष्ठ उपमहालेखाकार
(स्थानीय निकाय)

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांकः 27, अगस्त 2009

(ए0के0पटनायक)
प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)
उत्तर प्रदेश

[20] (2049.70 – 1250) 679.175 घन मी0 = रु0 5.43 लाख।